The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-3, October 2022

"प्राचीन भारत में महिला शिक्षा"

नित्या श्रीवास्तव

प्रोफेसर एम.एड. विभाग,
रामेश्वरम इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ ।

सारांश :

शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यन्त अनिवार्य घटक है, बिना शिक्षा के मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने का आनन्द नहीं प्राप्त होता है । शिक्षा की जब बात आई तो आज भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जायेंगे, जिसमें शैक्षिक असमानता मिल जायेगी, प्राचीन काल में नारी शिक्षा और बालिका शिक्षा का विशेष प्रबन्ध था, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व तक बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यन्त सोचनीय थी। आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों में भेद–भाव किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो लड़कियों की स्थिति सोचनीय हो जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग शिक्षा के महत्व से परिचित नहीं हो पाते हैं । उनकी दृष्टि में पुरुषों को शिक्षा की जरुरत होती है क्योंकि वे नौकरी तथा काम करने बाहर जाते हैं जबकि लड़कियां तो घर में रहती हैं, और शादी के बाद घर में उनका काम–काज में ही ज्यादातर समय बीत जाता है । हमारे देश की नारी शिक्षा संसार के अन्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है ।

प्रस्तावना :

प्रजातांत्रिक देशों में बालिका शिक्षा को सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए पुरुषों को समान ही स्त्रियों को भी समान अधिकार दिये जाते हैं, और विकास के लिए समान सुविधाएँ भी दी जाती हैं ।

स्त्रियाँ समाज का आधार स्तम्भ होती हैं । भारत में तो नारियों को सदैव से ही आदरपूर्ण स्थान दिया जाता है, शिक्षित नारी ही परिवार एवं समाज की शोभा है, मनु ने ठीक कहा है–

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"

अर्थात जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं, स्त्री देश की संस्कृ ति धर्म, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान का स्तम्भ होती है । नारी विभिन्न रुपों में राष्ट्र तथा समाज का निर्माण करती हैं । सबसे पहले माता के रूप में वह देश के भावी नागरिकों का निर्माण करती है । और बालक की शिक्षा सर्वप्रथम माता की गोद से ही प्रारम्भ होती है ।

सुशिक्षित स्त्रियां कुछ क्षेत्रों में भी पुरूषों से भी अधिक निपुण सिद्ध हुई हैं । यदि स्त्रियों को पुरूषों की भांति शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाय तो वे भी कुशल समाज–सुधारक, व्यवसायी, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, अधिवक्ता, कारीगर तथा राजनीतिक नेता बनकर देश को समृद्धशाली बना सकती है । आधुनिक विचारक इन लाभों के अतिरिक्त स्त्री शिक्षा की आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान निम्नलिखित कारणों को आधार पर आकर्षित करते हैं–

- परिवार का परिवर्तित रूप संयुक्त से एकाकी ।
- धार्मिक मान्यताओं के प्रति अनास्था ।
- वर्ग विहीन समाज के प्रति अनास्था ।
- अव्यवसायिक क्षेत्र में मानव शक्ति की बढ़ती हुई माँगे ।
- वैवाहिक स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता के पहलू पर अधिक बल ।
- नारी भूमिका में परिवर्तन आधुनिक नहीं वरन् सहयोगिनी तथा सहभागिनी ।
- बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियन्त्रण तथा जन्म दर में कमी लाने के लिए ।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व व्यापक मानव अधिकार घोषणा की गई, जिसमें जाति, प्रजाति, रंग, लिंग और भाषा श्रेणी का लिहाज किए बिना प्रत्येक को सुरक्षा व सुविधा का प्रावधान था । इसी दिशा में वियना घोषणा की गई जिसमें यह

व्यक्त किया गया कि "स्त्रियों व बालिकाओं का मानवाधिकार विश्व व्यापक मानवाधिकार का अविछिन्न अंग होगा ।"

वियना घोषणा ने 1995 में बीजिंग में होने वाले स्त्री पर विश्व सम्मेलन का स्वागत किया और कहा कि स्त्रियों को पुरूषों के सादृश अधिकार दिये जायें, जिससे कि वे विकास प्रक्रिया शिक्षा सूचना तथा संचार प्रक्रिया में समान रूप से कार्य करने व लाभ उठाने योग्य बन सकें । मानव अधिकार घोषणा तथा वियना घोषणा के फलस्वरूप विश्व स्तर पर नये सिरे से स्त्री शिक्षा की नवीन प्रवृत्ति का प्रचलन प्रारम्भ हुआ जिसका प्रभाव भारतीय चिन्तन पर भी पड़ा । आज हम सबके लिए शिक्षा या शत–प्रतिशत शिक्षा की माँग कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता स्पष्ट हो जाती है, स्त्री शिक्षा का मूल है, स्त्रियों की शिक्षा द्वारा सम्पूर्ण समाज को शिक्षित किया जा सकता है ।

प्राचीन भारत में स्त्री का सामाजिक स्तर एवं उपलब्ध शैक्षिक अवसर पुरूषों के समान थे । वैदिक काल में बालक–बालिकाओं को समानता के आधार पर उपनयन संस्कार उपलब्ध था । बालिकाएँ ब्रह्मचर्य व्रत का पालने करती थीं स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, और वे पुरूषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं ऋग्वेद के सम्बन्ध में कहा जाता है, कि उनकी अनेक संहिताओं की रचना महिला कवियित्रियों द्वारा की गयी । यथा–घोषा, मैत्रयी, गार्गी, अपाला, उर्वशी, विश्ववरा, रोमशा, लोपामुद्रा, शकुन्तला, अनुसुइया, प्रियम्वदा आदि का नाम उल्लेखनीय है, इन स्त्रियों में गार्गी का नाम अधिक प्रसिद्ध है । इस प्रकार पुरूषों की भांति स्त्रियां समाज की सभ्य शिक्षित एवं सम्मानित अंग थीं ।

वैदिक काल में बालक के समान बालिकाओं की शिक्षा गुरूकुल में न होकर घर में होती थी । जहां वे गृहस्थ जीवन से सम्बन्धित ज्ञानार्जन करती थीं । उनकी शिक्षा अधिकतर अपने परिवारों में माता, भाई–बहन या फिर कुल पुरोहित के द्वारा दी जाती थी । यद्यपि बालिकाओं के लिये अलग विद्यालयों की व्यवस्था नहीं थी, तथापि सहशिक्षा का कुछ सीमा तक प्रचलन था । जैसे आत्रेयी ने लव और कुश के साथ बाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी । बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य रचना, वाद–विवाद की भी शिक्षा दी जाती थी । स्त्री शिक्षा का उक्त कार्यक्रम प्राचीन काल से लेकर 200 ई.वी. तक अबाध गति से चलता रहा, परन्तु उसके बाद उनकी शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, जिससे उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो गयी, इस विषय में डॉ. अल्टेकर ने लिखा है कि "धर्मशास्त्र युग (200 ई.पू.–500 ई.) में बालिकाओं के विवाह की आयु को

कम करके 12 वर्ष तक कर दिया गया और ,स्त्रियों के वेदाध्ययन को निषेध कर दिया गया, इससे उनकी शिक्षा को प्रबल आघात पहुँचा ।"

बौद्ध धर्म की अवस्था के अनुसार भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का आदेश था । फलस्वरूप संघ में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी, अतः बौद्ध धर्म के प्रारम्भ में बालिका शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ समय पश्चात् अपनी विमाता महाप्रजापति एवं प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह करने पर भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, जिसके फलस्वरूप स्त्री शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । स्त्रियों की शिक्षा के लिए मठों एवं विहारों की स्थापना हुयी जहां पर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए धर्मशास्त्रों एवं साहित्य का मनन कर अपना मानसिक विकास एवं चारित्रिक निर्माण किया । इस काल में अनेक विदुषी महिलाएं जैसे– शील–'भट्टारिका, प्रभुदेवी तथा विजयांका उच्च कोटि की कवियित्री थी । सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा लंका आदि देशों में धर्म प्रचार के लिए गयीं थीं, डॉ. अल्तेकर के अनुसार–स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की आज्ञा से स्त्री शिक्षा की विशेष रुप से समाज के कुलीन एवं व्यवसायिक वर्गों की शिक्षा को बहुत काफी प्रोत्साहन मिला ।

मुगलकाल में पर्दा प्रथा होने के कारण बालिकाओं की शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी । इस्लाम स्त्री शिक्षा का निषेध नहीं करता अतः शिक्षा का निषेध ने होने के कारण अमीर परिवार की बालिकाओं को घर में ही विद्याभ्यास करने का अवसर प्राप्त हो जाता था । राज–परिवारों की बालिकाऐं बड़े होने पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करतीं थीं, जबकि जनसाधारण की छोटी बालिकाऐं मस्जिदों में पढ़ने जाया करतीं थीं, उनका उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सीख लेना था ।

"स्त्रियों के लिए नृत्य, सिलाई, बुनाई, बढ़ई के कार्य, सुनार के कार्य, लोहार के कार्य, जूते बनाना और युद्ध कला की शिक्षा की व्यवस्था थी ।" मालवा के शासक ग्यासुद्दीन तुगलक ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए सारंगपुर में एक मदरसे की स्थापना करायी, इसमें उन्हें सिलाई, बुनाई, मखमल तैयार करना, युद्ध करना, नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा, प्रदान की जाती थी, किन्तु इस मदरसे में केवल उन्हीं व्यक्तियों की पुत्रियां अध्ययन कर सकती थीं, जो धन व्यय करने में समर्थ थीं । मुगलकाल में राजकुमारियों की शिक्षा के प्रति विशेष रूप से ध्यान् दिया जाता था । बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमांयुनामा की रचना की । हुमांयु की भतीजी सलीमा ने फारसी भाषा में अनेक कविताओं का सृजन किया । नूरजहाँ मुमताज महल, जहां आरा बेगम एवं जेबुन्निसा अरबी एवं फारसी साहित्य

में दक्ष थीं राज परिवारों की बालिकाओं के अतिरिक्त निजी परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा की अनुकूल व्यवस्था नहीं थी ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर उसकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया गया शायद इसका कारण यह था कि उन्हें अपने प्रशासकीय एवं व्यवसायिक कार्यालयों के लिए शिक्षित महिलाओं की आवश्यकता नहीं थी । इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी था । सन् 1938 में विलियम एडम ने स्त्री शिक्षा का वर्णन करते हुए लिखा– 'शिक्षा की समस्त स्थापित देशी संस्थाएँ केवल पुरूषों के लाभ में हैं, और समस्त महिला जगत को विधिपूर्वक अज्ञानता को अर्पित कर दिया है ।'

कम्पनी के शासन काल में बालिका विद्यालयों की स्थापना मिशनरियों और सरकारी एवं गैर सरकारी व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप हुयी । सन् 1951 में मिशनरियों द्वारा 371 बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था । जिसमें शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या–11,193 थी । व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप स्थापित किए जाने वाले बालिका विद्यालयों में सबसे प्रसिद्ध कलकत्ता का "बैध्थून स्कूल" था । इसका शिलान्यास सन् 1849 ई. में सरकार के कानून सदस्य जे.ई. डॉ. बैध्यून के द्वारा किया गया था । इसके अतिरिक्त 1904 में श्रीमती ऐनीबेसेन्ट ने बनारस में सेण्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल का निर्माण किया । 1916 में दिल्ली में महिलाओं के लिए 'हार्डिडज मेडिकल कॉलेज' की स्थापना हुयी । 1921 में बालिकाओं की कुल शिक्षा संस्थाऐं– 26144 थी, और उनमें अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या–14 लाख से अधिक थी ।
इसके अतिरिक्त ब्रिटिश काल में विभिन्न आयोगों, सरकारी घोषणाओं व शिक्षा नीति संम्बन्धी सरकारी प्रयासों एवं समितियों में स्त्री(बालिका) शिक्षा के संबंध में सिफारिशों व सुझाव प्रस्तुत किए गए जो कि निम्न हैं–

वुड घोषणा पत्र (1854) में स्त्री शिक्षा के लिए धन देने वाले व्यक्तियों की सराहना की गई और आदेश दिया गया कि उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करके उनको इस परम पुनीत कार्य के लिए अधिक प्रेरणा दी जाये । यह भी कहा गया कि स्त्री शिक्षा के विद्यालय को सहायता अनुदान दिया जाये, संचालक गवर्नर की इस घोषणा से सहमत थे, कि भारत में स्त्री शिक्षा को सरकार की स्पष्ट एवं मैत्रीपूर्ण सहायता प्राप्त होनी चाहिए ।

भारतीय शिक्षा आयोग या हन्टर कमीशन (1882–1883) व बालिका शिक्षा आयोग ने तत्कालीन बालिका शिक्षा की दयनीय दशा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है–"यह बात स्पष्ट है, कि स्त्री शिक्षा अभी तक अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है । अतः इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक सम्भव विधि से इसका पोषण किया जाये ।

अतः इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल तक स्त्रियों की शिक्षा में लगातार अवनमन हुआ है । प्राचीन वैदिक एवं बौद्ध काल से कुछ श्रेष्ठ विचार वर्तमान स्त्री शिक्षा के प्रगतिशील युग के लिए उपयोगी हो सकते हैं ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. अग्रवाल, बी.बी. (1997–98), "आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएँ" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ।
2. कपिल, एच. के. (1996–97), "अनुसंधान विधियां", भार्गव बुक हाउस, राजामण्डी, आगरा ।
3. पाठक, पी.डी. (1996–97), "अनुसंधान विधियां", भार्गव बुक हाउस, राजामण्डी, आगरा ।
4. पाठक, पी.डी. (1998), "भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ" विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ।
5. शर्मा, आर.ए. (2001) "शिक्षा अनुसंधान" सूर्या पब्लिकेशन ।
6. सारस्वत, एम.(1997–98), "भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्यायें" कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद ।
7. शर्मा, आर.ए.(2001), "शिक्षा अनुसंधान" सूर्या पब्लिकेशन, निकट गवर्नमेंट कॉलेज, मेरठ ।
8. त्रिपाठी, एस.(1999), "भारतीय शिक्षा का इतिहास" राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
9. उपाध्याय, पी.(1996), "शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ" शारदा पुस्तक भवन यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद ।
10. गुप्ता, अनुराधा(1989), "एकाकी और संयुक्त परिवार की बालिकाओं के व्यक्तिगत मूल्यों सृजनात्मकता और शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक जुड़ाव का प्रभाव", पी.एच. डी. शिक्षा, आगरा यूनिवर्सिटी ।

THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-3, *October* 2022
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-Oct-2022/11

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

नित्या श्रीवास्तव

For publication of research paper title

"प्राचीन भारत में महिला शिक्षा"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-03, Month October, Year- 2022.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com